Gram : FORDEV
Office : 0755-2674204, 255182
Fax : 0755-2551757
Website : www.mpsfdc.com
E-mail : mprvvn@sancharnet.in
: mprvvn@rediffmail.com

466

MADHYA PRADESH RAJYA VAN VIKAS NIGAM LIMITED

REGISTERED OFFICE : Panchanan 5th Floor, Malviya Nagar, Bhopal - 462 003 (M.P.)

कमांक/वविनि/विपणन/2013/3856 दिनांक 25/10/13

प्रति,

क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक,
भोपाल/जबलपुर,
समस्त संभागीय प्रबंधक,
म.प्र.राज्य वन विकास निगम लिमिटेड।

विषयः–म.प्र.राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के स्थापित डिपो से इमारती लकड़ी/जलाऊ लकडी/लकड़ी के कोयले,/अन्य संग्रहित वनोपज एव व्यापारिक बांस की नीलामी में विकय शर्तों को विनियमित करनें वाले संशोधित नियम।

संदर्भ :–इस कार्यालय का पत्र कमांक 5542 दिनांक 27.12.2010

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा काष्ठ एवं बांस की नीलाम शर्तों में **शर्त कमांक 1 क में आंशिक संशोधन** करते हुए म.प्र.राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के स्थापित डिपो से इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/ लकड़ी के कोयले/अन्य संग्रहित वनोपज एवं व्यापारिक बांस की नीलामी में विकय शर्तो को विनियमित करने वाले नियम संशोधित कर प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। तद्नुसार नीलामी की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। सुलभ संदर्भ हेतु म.प्र.शासन, वन विभाग का पत्र कमांक/निवर्तन/2013/53/3666/3687 दिनांक 11.10.2013 सहपत्र सहित संलग्न प्रेषित है।

निमित्त म0 प्र0 राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(ए.एस. जोशी)
प्रबंध संचालक

F:\Marketing\Marketing\Letters, 2013 doc

415

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष—उत्पादन)
मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755—2674354 E-mail: apccfproduction@mpforest.org

क्रमांक / निर्वर्तन / 2013 / 53 / 3686 भोपाल, दिनांक : 11 / 10 / 2013

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश

विषय :— वनोपज नीलाम मे बयाने (EMD) की राशि चैक द्वारा स्वीकार किये जाने की अनुमति बाबत्।

—::00::—

विषयांकित संबंध में म.प्र. शासन, वन विभाग, भोपाल ने शासन के आदेश क्रमांक / समिति / 406 / ‘05 दिनांक 09.10.2013 (छायाप्रति संलग्न है) द्वारा वनोपज नीलाम में बयाने की राशि (EMD) चैक द्वारा इस शर्त पर स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की है कि, "प्रश्नाधीन प्रकरण में चैक से बयाने (EMD) की राशि भुगतान (Confirmation) सुनिश्चित हो जाने के बाद ही लाट मुक्त किया जावेगा"।

उपरोक्तानुसार अब बयाने की राशि क्रेता से चैक द्वारा प्राप्त की जा सकती है, तथा बयाने की राशि का चैक प्राप्त होने पर, उक्त निर्देश का पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(डॉ.आर.पी.सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक / निर्वर्तन / 2013 / 53 / 3687 भोपाल, दिनांक : 11 / 10 / 2013

प्रतिलिपिः— समस्त वन मंडलाधिकारी (उत्पादन / क्षेत्रीय) म.प्र. की ओर सहपत्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

मध्यप्रदेश, भोपाल

15-10-13

464

व.पत्र

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/समिति/406/ 105 भोपाल, दिनांक 09/10/2013

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

मध्यप्रदेश, भोपाल

विषयः— वनोपज नीलाम में बयाने (EMD) की राशि चैक द्वारा स्वीकार किये जाने की अनुमति बावत।

संदर्भः— मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/2114/1596/2013/10–3 भोपाल दिनांक 07.10.2013

—0—

वनोपज अंतर्विभागीय समिति की 406 वीं बैठक दिनांक 07–05–2013 (अ.प्र.मु.व.सं. उत्पादन के विषय क्रमांक–05) में वित्त विभाग की सहमति उपरांत वनोपज नीलाम में बयाने (EMD) की राशि चैक द्वारा इस शर्त पर स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की जाती है की "प्रश्नाधीन प्रकरण में चेक से बयाने (EMD) की राशि भुगतान (Confirmation) सुनिश्चित हो जाने के बाद ही लॉट मुक्त किया जायेगा।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

(बी.बी.सिंह)

पदेन सचिव,

म.प्र.शासन, वन विभाग

पृ0क्र0/समिति/406/ भोपाल, दिनांक /10/2013

प्रतिलिपि :—

1/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2/ महालेखाकार (क्रमांक एक) म.प्र.ग्वालियर को (समिति की बैठक दिनांक 07–05–2013 में प्रस्तुत विषय पर संदर्भित टीप एवं कार्यवाही विवरण के उद्धरण की प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

हस्ता/-

पदेन सचिव,

म.प्र.शासन, वन विभाग

निर्वाण

कुमारी श्री

अ.प्र.मु.व.सं.उत्पा.

10.10

म0 प्र0 राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

नीलाम की संशोधित शर्तें

म0 प्र0 राज्य वन विकास निगम लि. के स्थापित डिपो से इमारती लकड़ी/ जलाऊ लकड़ी/लकड़ी के कोयले की नीलामी में विक्रय शर्तों की विनियमित करने वाले नियम :--

सर्व साधारण की जानकारी के लिये एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि संलग्न सूची के अनुसार विभागीय रूप से काटी गई और/या संग्रहित की गई इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी तथा /या संग्रहित लकड़ी के कोयले /अन्य संग्रहित वनोपज के विभिन्न लाटों का विक्रय संभागीय प्रबंधक...................... परियोजना मण्डल .... व्दारा दिनांक .... को .... बजे से आरंभ करते हुये और यदि आवश्यक हुआ तो अगले................... दिनों को .... बजे तक सार्वजनिक नीलामी व्दारा किया जावेगा ।

नीलाम के समय घोषित या अनुरोध पर पूर्व में उपलब्ध कराई गई इमारती लकड़ी / जलाऊ लकड़ी / लकड़ी के कोयले/अन्य संग्रहित वनोपज के मापों, मात्राओं और श्रेणी के ब्यौरे, संभागीय प्रबंधक की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है, किन्तु उनकी किसी भी सीमा तक गारंटी नही है, इसलिये बोली लगाने वाले इच्छुक व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे इस विषय में अपना समाधान करने की दृष्टि से उस लॉट या उन लॉटों का जिसके लिए/जिनके लिए वे बोली लगाना चाहते है, स्थल पर निरीक्षण कर लें। अनुरोध करने पर लॉटों और मापों केब्यौरे संबंधित संभागीय प्रबंधक/परियोजना परिक्षेत्राधिकारी/डिपो अधिकारी से प्राप्त किये जा सकते है। यदि बाद में मात्राओं आदि के ब्यौरे गलत पाये जाये तो म0 प्र0 राज्य वन विकास निगम के विरूद्व मुआवजे या किसी अन्य राहत के लिए कोई भी दावा नही होगा।